15.04.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या-5 लगायत 8 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, बावजूद इसके उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अप्रार्थी संख्या-5 लगायत 8 का जवाब बंद किया जाता है। बहस अंतिम अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा सांचौर में प्रार्थीगण के पुरखों एक वक्त से संयुक्त कब्जा शुदा काश्त शुदा आराजी पुराना खसरा संख्या 142 रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा स्थित है जो भू-प्रबन्ध में नवीन खसरा संख्या-367 रकबा 3.46 हैक्टेयर, ख.नं.-388 रकबा 2.07 हैक्टेयर, ख.नं. 386 रकबा 0.06 हैक्टेयर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 12:54:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर 56/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में ...
	जुमले रकबा 5.59 हैक्टेयर स्थित हुए है उपरोक्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता स्व. नानजी पुत्र हिंगोला का 1/2 हिस्सा स्थित है प्रार्थीगण स्व. नानजी की जायज पुत्रीयां होने के कारण स्व. नानजी के हिस्से की संपूर्ण आराजी में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/6 हिस्सा व सहदायक अंश निहित है। जो प्रार्थीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 संशोधन के पश्चात बाई बर्थ राईट्स के रूप में प्राप्त है। प्रार्थीगण अपने पिता स्व. नानजी के जीवनकाल में ही प्राप्त कर नाये भू-विभाजन अलग करवाने का विधिसम्मत अधिकार था। प्रार्थीगण के उक्त वादग्रस्त आराजी में स्थित अपने सहदायिक हिस्से को खुर्द-बुर्द करने या आगे किसी अन्य को विक्रय, दान, तर्क एवं अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में स्थित अपने सहदायिक हिस्से में संयुक्त रूप से सहन व शांतिपूर्वक काबिज काश्त है तथा अपने हिस्से का लगान भी प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की आराजी का जिसका	

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 12:34:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

56/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	इन्द्राज चले रहे हैं। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 3 की संयुक्त कब्जा काश्त की पुश्तैनी भूमि होने से उक्त आराजी पर प्रत्येक पुश्तैनी सहखातेदार का इसमें प्रत्येक इंच पर हक हकूक व स्वामित्व का अधिकार है। इसलिए उक्त आराजी का विधिवत् भू-विभाजन से पूर्व न तो कोई अन्य को भूमि को हस्तांतरित करने एवं न ही इसे हस्तांतरण अथवा बेचान का अधिकार है। मगर अप्रार्थी संख्या-1 व 2 ने तत्कालीन पटवारी व तहसीलदार से मिलकर कर उपरोक्त आराजी खसरा संख्या-387, 387, 388 कुल रकबा 5.59 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के पिता स्व. मानजी के 1/2 हिस्से में स्थित प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/6 हिस्सा पुश्तैनी सहखातेदार हिस्सा होने के बावजूद भी चालते-चालते फर्जी तरह से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र बना कर दाखिल म्यूटेशन संख्या-151 के जरिये संपूर्ण वादग्रस्त आराजी अपने नाम मुतालिक करवा दी। प्रार्थीगण स्व. हिंगोला की पौत्रियां एवं हिंगोला के पुत्र स्व. मानजी की नातिन पुत्रियां व प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से तथा वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का पुश्तैनी हक हकूक व कब्जा काश्त	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	होने से प्रार्थीगण को स्व. हिंगोला की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि में स्थित स.नम्बरों के 1/2 हिस्से की आराजी के 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित करवा कर अपने-अपने हिस्से का कु-विभाजन करवाने का प्रार्थीगण को विधि-सम्मत अधिकार है। पारस्परिक भूमि में प्रार्थीगण का पुश्तैनी हक हकूक व कब्जा होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसी अवस्था में यदि अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कर यथास्थिति कायम नहीं रखी जाती तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति द्रव्य में आंकना कतई मुमकिन नहीं है इसलिए वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण के तादादी हिस्से में उनके शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की अप्रार्थीगण दखलंदाजी नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या- 386, 387, 388 कुल रकबा 5.59 हैक्टेयर मौजा कुआंरो का गोलिया सांचौर में प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी आगे किसी	

उपखण्ड ... कलेक्टर, सांचौर
(... उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:44:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा संख्या:- 56/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	को बेचान हस्तांतरण नहीं करे तथा न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। वादग्रस्त आराजी का मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के दादा/दादा ससुर मोतीया उर्फ मोप पुत्र थेकमा के मौजा कुशला का गोलिया में पुराना खाता संख्या 142 जिसके नवीन खसरा संख्या 386 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 387 रकबा 3.46 हैक्टेयर, खसरा संख्या 388 रकबा 2.07 हैक्टेयर कुल रकबा 5.59 हैक्टेयर आई है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक या कब्जा काश्त नहीं है उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त मोतीया के समय से लगातार चला आ रहा है वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर लंबे समय से कब्जा काश्त एवं रहवास होने से तथा प्रार्थीगण हमेशा वादग्रस्त आराजी से आउट ऑफ पजेशन रहे हैं वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण का कोई	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	काबूनी हक पैदा नहीं होता है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा काश्त ही नहीं रहा है तो इस अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल करने या कब्जे बेदखल करने की धमकियां देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण हमेशा बाहर और बेदखल रहे हैं जबकि वादग्रस्त आराजी के अप्रार्थीगण रेवेन्यू खातेदार हैं एवं मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त एवं रहवास है तथा अप्रार्थीगण खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं तथा अप्रार्थीगण के नाम से गिरदावरी होती चली आ रही है एवं अप्रार्थीगण लगान अदा करते आ रहे हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज होने योग्य है अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र तफ्सील, खर्चे एवं मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें।
	मैंने अधिवक्ता उभयपक्षान की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा संख्या :- 56/2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा डूंगरा का गोलिया सांचौर के पुराना खसरा संख्या-142 रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा, नवीन खसरा संख्या 387, रकबा 3.46 हैक्टेयर, खसरा नं. 388 रकबा 2.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 386 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल रकबा 5.59 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली [illegible] मुख्य केस नंबर से एकजाई की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner